

राजस्थान –सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/2-994/19/ दिनांक

आदेश

श्री रामचन्द्र बुडिया, नर्स-2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुगोली जिनकी जन्म तिथी 07.07.1975 एवं प्रथम कार्यग्रहण तिथी 11.08.2009 है का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 09.01.2019 को मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सेवा से दिनांक 09.01.2019 को नाम विलोपित किया जाता है।

मृत्यु दिनांक तक इनके विरुद्ध-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

दिनांक 25-02-19

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/2-994/19/267

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर।
5. सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।